कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः 17.04.2020 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय निर्देशानुरूप दिनांकः 20.04.2020 से 03.05.2020 तक की समयावधि हेतु लॉकडाउन संबंधी नवीन निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 1 व 3 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) कार्यालय भी प्रशिक्षणार्थियों का अवकाश एवं शिक्षक–प्रशिक्षण गतिविधियां बन्द रखते हुए अन्य कार्यालयी कार्य सम्पादित करने हेतु न्यूनतम स्टाफ के साथ संचालित रहेंगे। शेष निर्देश मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगे।

भारत सरकार के आदेश कमांकः40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनांकः 01.05.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश कमांकः प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांकः 02.05.2020 के अनुकम में दिनांकः 04.05.2020 से दिनांकः 17.05.2020 तक लॉकडाउन सम्बन्धी उक्त पूर्ववर्ती आदेश दिनांकः17.04.2020 स्कूल शिक्षा विभाग में निरन्तर प्रभावी रहेगा।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–2/विविध/4418/68/360 दिनांकः 03.05.2020 04

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा/पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
16. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
17. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
19. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
20. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, निदेशालय–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
21. प्रभारी, भण्डार अनुभाग को कार्यालय हाजा।
22. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
23. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
24. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः 22.03.2020 एवं अनुवर्ती आदेश दिनांकः 31.03.2020 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों को दिनांकः 14.04.2020 तक शासकीय निर्देशानुरूप पूर्णतः बन्द रखे जाने (लॉकडाउन) के निर्देश प्रदान किए गए थे। भारत सरकार के आदेश कमाक : 40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनांकः 15.04.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश कमांकः प. 33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांकः 15.04.2020 के अनुक्रम में दिनांकः 19.04.2020 तक लॉकडाउन सम्बन्धी उक्त पूर्ववर्ती निर्देश निरन्तर प्रभावी रहेंगे। तदनन्तर दिनांकः 20.04.2020 से 03.05.2020 तक की समयावधि हेतु निम्नानुसार नवीन निर्देश प्रदान किए जाते हैंः–

1. समस्त राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालय, छात्रावास, आर. के. भवन तथा समस्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान पूर्णतया बन्द रहेंगे।
2. शिक्षा विभागीय कार्यालयों में इस आदेश के अनुसरण में बुलाए गए अधिकारी/कार्मिकों को छोड़कर शेष अन्य व्यक्तियों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। आवश्यक होने पर ई–मेल इत्यादि आधुनिक ऑनलाइन संचार माध्यमों को उपयोग में लिया जा सकेगा।
3. बिन्दु संख्याः 01 में वर्णित संस्थान/विद्यालयों को छोड़कर शेष समस्त शिक्षा विभागीय कार्यालय प्रातः 9.30 से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे एवं गृह विभाग के आदेश दिनांक : 15.04.2020 में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. बिन्दु संख्याः 03 में वर्णित कार्यालयों में समस्त राजपत्रित अधिकारी, लेखा, सांख्यिकी, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा संवर्ग की अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयों में नियमित उपस्थिति देंगे। शेष मंत्रालयिक संवर्ग के अराजपत्रित कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति एक समय में एक तिहाई से अधिक न हो इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी रोस्टर तय करेंगे।
5. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सम्बन्धित अनुभाग/ग्रुप/नियंत्रण अधिकारी उक्तानुसार अपने अधीनस्थ कार्मिकों को आवश्यकतानुसार बुलाए जाने हेतु अधिकृत होंगे।

6. एक तिहाई तक उपस्थिति सीमित रखने के उद्देश्य से रोस्टर तय करते समय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी सप्ताह के दिनों के आधार पर अथवा प्रत्येक कार्य दिवस में कार्य के घण्टे/पारी विभाजित कर आवश्यकतानुसार दैनिक रोस्टर तय कर सकेंगे। पारी व्यवस्था की स्थिति में दो पारियों के मध्य शासकीय निर्देशानुरूप समुचित अन्तराल रखा जावे, ताकि एक साथ कार्मिकों के एकत्र होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

7. कार्यालय में उपस्थिति हेतु निर्देशित किए जाने वाले कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। इस अवधि में किसी भी कार्मिक को सामान्यतया मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी, उन्हें प्रशासनिक तौर पर अनुमत स्थितियों के अतिरिक्त कार्यालय समय के दौरान निजी कार्यवश घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

8. शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थिति दे रहे समस्त निलम्बित/पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षारत समस्त कार्मिकों को लॉकडाउन अवधि में उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकन से छूट रहेगी। ऐसे कार्मिक लॉकडाउन अवधि में अपने वर्तमान वास–स्थान पर ही रहेंगे ताकि अनावश्यक आवागमन से लॉकडाउन का उद्देश्य बाधित न हो।

9. समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने मोबाईल चालू स्थिति में रखेंगे एवं नियंत्रण अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे। नियंत्रण अधिकारी/उच्चाधिकारियों से प्राप्त मौखिक, लिखित, दूरभाष, एस.एम.एस., वाट्सएप्प, ई–मेल आदि किसी भी संचार माध्यम से प्राप्त निर्देशों की तत्काल पालना की जानी सुनिश्चित करेंगे।

10. जिला प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट (संवेदनशील स्थान), कर्फ्यू क्षेत्र, क्लस्टर्स इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए जारी किए गए विशेष आदेश या प्रतिबन्ध इस आदेश द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश पर प्रभावशील रहेंगे अर्थात प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित कार्यालयों एवं ऐसे क्षेत्रों में निवासरत कार्मिकों की सीमा तक यह आदेश सम्बंधित जिला कलेक्टर के आदेशों के अध्यधीन रहेगा। ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र के निवासी कार्मिकों को घर से कार्य करने की स्थिति में रखा जाए।

11. लॉकडाउन सम्बन्धी नवीन शासकीय निर्देशानुसार निवास स्थान से कार्यालय आने–जाने की अनुमति के लिए कार्यालयी परिचय पत्र पर्याप्त होगा। राजकीय वाहन, संविदा वाहन एवं निजी वाहनों को आधिकारिक परिचय पत्र दिखाए जाने पर बिना किसी अतिरिक्त अनुमति पत्र के अनुमत

किया गया है। अतः जिन कार्मिकों के अभी तक परिचय पत्र नहीं बने हुए हैं वो अपने फोटो कार्यालय में प्रस्तुत करके परिचय पत्र बनवा लें।

12. मुख्यालय के जिले से बाहर गए हुए कार्मिक/अधिकारी इस आदेश को प्रस्तुत करते हुए सम्बंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेकर मुख्यालय पर उपस्थित होंगे।

13. अधिक संभागित्व वाली बैठकें प्रतिबन्धित रहेंगी। सीमित संभागित्वयुक्त बैठकों में पारस्परिक दूरी संधारण सम्बन्धी निर्देशों की सम्यक पालना की जावे।

14. समस्त शिक्षा विभागीय कार्मिकों को "आरोग्य सेतु ऐप" के प्रयोग हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जावे।

15. कार्मिकों में पारस्परिक निर्धारित न्यूनतम दूरी संधारित किए जाने के लिए भोजनावकाश एवं अन्य कारणों से कार्मिकों के एकत्र होने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। कैण्टीन इत्यादि स्थानों पर भी चाय, अल्पाहार एवं भोजनादि के समय निर्धारित न्यूनतम पारस्परिक दूरी का ख्याल रखा जावे।

16. गुटखा, तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं कार्यस्थल पर सार्वजनिक जगहों में थूकना सख्ती से प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय होगा।

17. शिक्षा विभागीय कार्यालयों में उपस्थित होने वाले कार्मिक/आगन्तुक (जिन्हें विशेष कारणों से बुलाया गया हो) को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

18. समस्त कार्यालयों में गृह विभाग के आदेशानुसार आवश्यक संक्रमणरोधी उपाय सुनिश्चित किए जावें। इस हेतु आवश्यकतानुसार तापमान जांच एवं सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जावे।

19. प्रतिदिन (पारी व्यवस्था की स्थिति में पारियों के मध्य अन्तराल के दौरान) समस्त कार्यालयों को संक्रमण-मुक्त (Sanitize) किया जावे।

20. सामान्यतः अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहों की नियमित रूप से सफाई की जावे। बार-बार हाथ धोने एवं स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को सामान्यवृत्ति में अपनाने के लिए भी कार्मिकों को प्रेरित किया जावे।

21. समस्त विभागीय अधिकारीगण उपर्युक्त बिन्दुओं, शासकीय आदेश दिनांक 15.04.2020 एवं समय-समय पर कोरोना महामारी के सम्बन्ध में जारी आदेशों, दिशा-निर्देशों की अपने अधिकार क्षेत्र में पालना सुनिश्चित करेंगे एवं लॉकडाउन के लम्बे अन्तराल के बाद कार्यालय पुनः खुलने पर

लम्बित कार्यों का आवश्यकता एवं प्राथमिकतावार आकलन कर यथाशीघ्र निस्तारण की कार्य योजना बनाकर उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :17.04.2020

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–2/विविध/4418/68/337

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा/पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
14. सभस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
16. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
17. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
19. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
20. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, निदेशालय–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
21. प्रभारी, भण्डार अनुभाग को कार्यालय हाजा में उपर्युक्तानुसार समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
22. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
23. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
24. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर